

FROM-1  
(For linear projects)  
Government of Rajasthan  
Office of the District Collector, Bhilwara  
\*\*\*

No- F-39-7(1)(1) RA/2014/1576

Dated- 07/04/2016


**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.215 hectares (2150 Sqm) of forest land proposed to be diverted in favour of Public Health Engineering Department, Chambal Bhilwara Project Division Asind for laying of pipeline from Chambal Water Supply Project in Bhilwara district falls within jurisdiction of Lalpura and Bhadsi village in Badnor tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.215 hectares (2150 Sqm) of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee, Gram Sabha, Sub-division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure -1 to annexure -4;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram sabha has given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: AS above

  
( Dr. Tina Kumar )  
District Collector, Bhilwara

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाडा

कमांक/वन अधिनियम/बैठक/2016-17/

दिनांक

बैठक कार्यवाही विवरण

वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 07.04.2016 को 11.00 बजे जिला कलक्टर महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुए :-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा -सदस्य सचिव
2. उप वन संरक्षक, भीलवाडा-सदस्य
3. श्रीमती सरोजना मीणा -- सदस्य
4. सहायक अभियंता, भीलवाडा चम्बल परियोजना खण्ड आसीन्द ।

बैठक में चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना की ग्राम लालपुरा से भादसी तक सड़क किनारे पाईप लाईन बिछाने के लिए तहसील बदनौर के ग्राम भादसी एवं सोहनपुरा वन क्षेत्र से गुजरने वाली पाईप लाईन के लिए प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि पर अनुसूचित जन जातियो एवं परम्परागत वन निवासियो के अधिकारों का समाधान किया जाना है ।

उप खण्ड अधिकारी, बदनौर की अध्यक्षता में आयोजित उप खण्ड स्तरीय बैठक के कार्यवाही विवरण दिनांक 29.02.2016 अनुसार ग्राम भादसी के आराजी नं. 3559/4535 में से 1100 मीटर, एवं ग्राम सोहनपुरा के आराजी नं. 183 में से लम्बाई 136 मीटर, आराजी नं. 185 में से लम्बाई 72 मीटर, आराजी नं. 186 में से लम्बाई 28 मीटर, आराजी नं. 187 में से लम्बाई 240 मीटर, आराजी नं. 897 में से लम्बाई 172 मीटर, आराजी नं. 197 में से लम्बाई 150 मीटर, एवं आराजी नं. 163 में से लम्बाई 252 मीटर कुल किता 8 में से चम्बल परियोजना के द्वारा कुल लम्बाई 2150 मीटर तथा चौड़ाई 1 मीटर में पाईप लाईन बिछाई जानी है। उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का अतिक्रमण अथवा वनाधिकार का दावा लम्बित नहीं है। इस प्रकार पेयजल परियोजना में आ रहे ग्राम सोहनपुरा एवं भादसी के वन क्षेत्र में अनुसूचित जन जातियो एवं परम्परागत वन निवासियो के किसी प्रकार के अधिकार निहित नहीं है। ग्राम सोहनपुरा एवं भादसी तहसील बदनौर की ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 24.02.2016 अनुसार ग्राम सभा में वन भूमि से पेयजल परियोजना हेतु 2150 मीटर लम्बाई में तथा 1 मीटर चौड़ी वन भूमि उपयोग की स्वीकृति दी गई है।

उपरोक्तानुसार ग्राम सभा भादसी, ग्राम पंचायत भादसी एवं उपखण्ड अधिकारी, बदनौर की अध्यक्षता में वनाधिकार समिति बैठक दिनांक 29.02.2016 की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सोहनपुरा एवं भादसी के वन क्षेत्र के उपर वर्णित खसरान् कुल किता 8 की 2150 मीटर लम्बाई एवं 1 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र 2150 वर्ग मीटर (0.215 है0) को चम्बल पेयजल परियोजना के पक्ष में प्रत्यावर्तन के लिए किसी भी स्तर पर आपत्ति नहीं होने से जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति व्यक्त की जाती है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

12/09  
7/4/16

54  
सदस्य सचिव  
जिला स्तरीय समिति  
(वन अधिकार अधिनियम)  
भीलवाडा  
दिनांक

क्रमांक/वनअधिनियम/बैठक/2016-17/

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा।
2. प्रभारी अधिकारी वन अधिनियम जिला कलेक्टर, भीलवाडा।
3. उप वन संरक्षक, भीलवाडा।
4. अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना, खण्ड आसीन्द।
5. उप खण्ड अधिकारी, बदनौर।
6. सदस्य ..... जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, भीलवाडा
7. ग्राम पंचायत भादसी तह. बदनौर जिला भीलवाडा।

6h  
सदस्य सचिव  
जिला स्तरीय समिति  
(वन अधिकार अधिनियम)  
भीलवाडा

## FORM-1

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Rajasamand

\*\*\*\*

NO- प.12 / 17( )राजस्व / वनविप्रा / 16 / 4298

Dated- 22-8-16

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.31 hectares (3100 Sqm) of forest land proposed to be diverted in favour of Public Health Engineering Department Chambal Bhilwara Water supply project Division Asind for laying of pipe line for ChambalBhilwara Water Supply Project comes in Rajasamand district within jurisdiction of Naloi Lalpura village in Bheem tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.31 hectares (3100 Sqm) of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee, Gram Sabha, sub-division level committee and the District level committee are enclosed as annexure-1 to annexure-4;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram sabha has given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Enco: As above

  
(Archana singh)  
District Collector  
Rajasamand

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमंद

क्रमांक: / वनअधिनियम / बैठक / 2016-17-559-66

दिनांक: 12-06-2016

बैठक कार्यवाही विवरण

वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की प्रवृत्ति के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.08.2016 को प्रातः 11.30 बजे जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएँ एवं सदस्यगण उपस्थित हुए -


1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसमंद-सदस्य सचिव।
2. उप वन संरक्षक, राजसमंद-सदस्य।
3. सहायक अभियन्ता चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना, खण्ड आसीन्द।

बैठक में चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की ग्राम नालोई लालपुरा से भादसी तक सड़क किनारे पाईप लाईन बिछाने के लिए तहसील भीम के ग्राम नालोई लालपुरा वन क्षेत्र से गुजरने वाली पाईप लाईन लाईन के लिए प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि पर अनुसूचित जन जातियों एवं परम्परागत वन निवासियों के अधिकारों का समाधान किया जाना है।

उप खण्ड अधिकारी, भीम की अध्यक्षता में आयोजित उप खण्ड स्तरीय बैठक के कार्यवाही विवरण दिनांक 13.06.2016 के अनुसार ग्राम नालोई लालपुरा के आराजी नं. 531 में से 3100 मीटर लम्बाई में चम्बल भीलवाड़ा परियोजना के अन्तर्गत 1 मीटर चौड़ाई में पाईप लाईन बिछाई जानी है। उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का अक्रिमण अथवा वनाधिकार का दावा सम्बन्धित नहीं है। इस प्रकार पेयजल परियोजना ने आ रहे ग्राम नालोई लालपुरा के वन क्षेत्र में अनुसूचित जन जातियों एवं परम्परागत वन निवासियों के किसी प्रकार के अधिकार निहित नहीं हैं। ग्राम नालोई लालपुरा ग्राम पंचायत अजीतगढ़ तहसील भीम की ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.02.2016 अनुसार ग्राम सभा में वन भूमि से पेयजल परियोजना हेतु 3100 मीटर लम्बाई में तथा 1 मीटर चौड़ी वन भूमि उपयोग की स्वीकृति दी गई है।

उपरोक्तानुसार ग्राम सभा अजीतगढ़ एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम की अध्यक्षता में वनाधिकार समिति बैठक दिनांक 13.06.2016 की रिपोर्ट अनुसार नालोई लालपुरा के वन क्षेत्र के उपर वर्णित खसरान् कुल किता 1 की 3100 मीटर लम्बाई एवं 1 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र 3100 वर्ग मीटर (0.31 है०) को चम्बल भीलवाड़ा परियोजना के पक्ष में प्रत्यावर्तन के लिए किसी भी स्तर पर आपत्ति नहीं होने से जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति व्यक्त की जाती है।

बैठक मधन्यवाद समाप्त हुई।


  
सदस्य सचिव  
जिला स्तरीय समिति  
(वन अधिकार अधिनियम)  
राजसमंद

क्र.सं. वन अधिनियम / बैठक / 2016-17 / 559-560

दिनांक- 12-08-2016

प्रतिनिधि - निम्न को सूचनार्थ पारितार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत राजसमंद,
2. प्रभारी अध्यक्ष वन अधिनियम विभाग कलेक्टर, राजसमंद
3. उप वन संरक्षक, राजसमंद।
4. अधिशासी अभियन्ता, चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना, खण्ड-आसीन्द।
5. उप खण्ड अधिकारी, भीम।
6. सदस्य ..... जिला स्तरीय वनधिकार समिति राजसमंद।
7. ग्राम पंचायत अजीतगढ़ तह, भीम जिला राजसमंद।

  
सदस्य सचिव  
जिला स्तरीय समिति  
(वन अधिकार अधिनियम)  
राजसमंद